

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न संख्या: 1928

29 अक्टूबर, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानव अंगों को बिक्री

1928. श्री

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को बताने का कृपा करगे कि:

- () क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्यारोपण को विनियमित करने वाले मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक, 1994 का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ब्रेन डेड व्यक्तियों से अंगों का दान शामिल है और यदि हां, उद्देश्य क्या है;
- () क्या सरकार को मौद्रिक उद्देश्यों के लिए मानव अंग को बिक्री के संबंध में नागरिकों को कोई रिपोर्ट या शिकायत मिली है;
- () यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- () क्या सरकार के पास किसी भी बिचौरी को शामिल किये बिना मानव अंगों के प्रत्यारोपण का सुविधा के लिए राष्ट्रीय मानव अंग दान बैंक स्थापना प्रस्ताव है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- () दिल्ली, बिहार, गुजरात आदि राज्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए अन्य क्या कार्यवाही है ?

द

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (श्री शंकर)

() : भारत सरकार ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (टोएचओटोए), 1994 को अधिनियमित किया और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण तथा मानव अंगों और ऊतकों के वारिणजियक लेन-देन को नियंत्रित करने के लिए इसके अंतर्गत नियम बनाए गए।

() () : सरकार को कुछ घटनाएं शिकायत/मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नोटिस में आई हैं। मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण

1994 के तहत इस अधिनियम और इसके तहत निर्मित नियमावली के प्रावधानों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को शिकायत का जांच पड़ताल और उपयुक्त कारवाई करने के लिए राज्य स्तरीय उपयुक्त प्राधिकारी होता है। तदनु
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच पड़ताल और उपयुक्त कारवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता है। इसके अलावा ऐसे मामलों का विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(घ): हासिल किए जाने के तुरंत पश्चात प्रत्यारोपण किए जाने की आवश्यकता के लिए हृदय, किडनी आदि अंगों के लिए राष्ट्रीय मानव अंगदान बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) में ऊतक भंडारण के लिए राष्ट्रीय स्तरीय ऊतक बैंक (जैव-सामग्री कद्र) की सुविधा है। राष्ट्रीय अंग प्रत्या
() , जैव सामग्री कद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय प्र
करने हेतु प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोट्टे), न ,
क्षेत्रीय -सामग्री कद्र की स्थापना भी की गई है।
के तहत जैव सामग्री कद्र स्थापित करने के लिए बिहार और महाराष्ट्र को निर्धारित किया गया है।

() : 'राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटोटोओ)', 'क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटोटोओ)' 'राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ()' ।
www.notto.gov.in एक टोल फ्री हेल्पलाइन (1800114770)

24x7 कॉल सेन्टर को कार्यशील बनाया गया है। जागरूकता का सृजन करने तथा डॉक्टरों और प्रत्यारोपण समन्वयकों सहित प्रत्यारोपण क्रियाकलापों से संबद्ध सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय अंग दान दिवस, सेमिनारों, कायशालाओं, डिबेटों, खेलकूद समारोहों, वॉकथनों, मेराथनों में भाग लेने, नुक्कड़ नाटक इत्यादि जैसे अनेक क्रियाकलापों का देश के विभिन्न भागों में आयोजन किया जाता है। शव के अंगदान को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन और दूरदर्शन के दूसरे चैनलों पर दृश्य-श्रव्य सन्देश भी प्रसारित किए
